

A G R E E M E N T

concerning cultural relations

between the Republic of India and the Imperial Government of Iran

The President of India

and

His Imperial Majesty the Shahanshah of Iran

Conscious of many centuries of cultural relations  
between India and Iran,

Inspired by a common desire to establish and develop  
closer cultural relations in the future in the spirit of the  
United Nations' Educational, Scientific and Cultural Organisation, and

Desirous of promoting and developing in every possible  
way and on a sound basis such relations and understanding between  
the two countries, especially in the realm of science and education,

Have decided to conclude a Cultural Agreement and to  
this end have appointed as their plenipotentiaries:

The President of India:

The Honourable Maulana Abul Kalam Azad  
Minister of Education

His Imperial Majesty the Shahanshah of Iran:

His Excellency Dr. A.A. Hekmat  
The Ambassador of Iran

....

who having examined each other's credentials and found them good and in due form have agreed as follows:-

#### Article 1

The Government of the Republic of India and the Imperial Government of Iran declare their desire and willingness to promote further cultural relations between the two countries through the exchange of University teachers and members of scientific and cultural institutions.

#### Article 2

Each Government will accord all appropriate assistance and facilities to enable its students to pursue their studies in institutions situated in the territory of the other. Such studies may be pursued in any subject, scientific, technical literary or otherwise.

#### Article 3

Each Government will receive, as far as its own resources and requirements may permit, employees of the other Government, or any other persons deputed by that Government, for training in its scientific, technical and industrial institutions.

#### Article 4

The two Governments will welcome the establishment of cultural institutes in each other's territory subject to the laws governing the establishment of such institutes in that country and the general policy of that Government. The term 'cultural institute' means educational centres, libraries, scientific institutions of an educational nature and institutions for the promotion of art, such as art galleries, art centres and societies, film libraries and literary associations.



## Article 5

The two Governments will strive to promote cultural and intellectual exchange between the two countries by arranging lectures, art and scientific exhibitions, concerts and cultural shows, by organising visits of students and by awarding them scholarships, by encouraging collaboration between scientific, artistic and literary societies and other organisations devoted to the promotion of learning, by promoting translations from Persian into the Indian languages and vice versa, by establishing chairs in Universities or other institutions of higher learning for the teaching of subjects pertaining to each other's country, by diffusion of books and periodicals, by exhibition of films, by exchange of archaeological specimens and 'objects d' art, by the arrangement of radio programmes with a view to introducing the history, language and art of each other, and by exchange of gramophone records, micro-films and photostat copies of manuscripts.

## Article 6

The two Governments will encourage, as far as possible, sports competitions between their respective nationals and collaboration between their scout organisations.

## Article 7

The two Governments will, so far as it lies within their power, ensure that text books prescribed for educational institutions, text books of History in particular, do not contain any errors or misrepresentations about each other's country, and that due deference be shown to the respective Heads of each other's country.

.....

## Article 8

The two Governments have agreed to offer their good offices to facilitate the mutual recognition by Universities and other educational authorities in the two countries of the degrees, diplomas and certificates awarded by them.

## Article 9

The two Governments will accord each other every possible facility through non-application of Customs restrictions etc., so as to ensure free movement between the two countries of printed books published in their respective countries. Such facilities will not, however, be extended to undesirable literature of an obscene, subversive or otherwise objectionable nature.

## Article 10

The two Governments may depute Cultural representatives to each other.

## Article 11

The two Governments pledge themselves to take all appropriate measures and to provide all possible facilities for giving effect to the terms of this Agreement.

## Article 12

For the purpose of carrying out the terms of this Agreement, either Government may, if necessary, agree to set up a Special Commission composed, in Iran, of the Minister in Charge of Education and the Head of the Indian Diplomatic Mission and, in India, of the Minister in Charge of Education and the Head of the Iranian Diplomatic Mission, with such Advisers as may be nominated by either member of the Commission with the object of

....



watching the working of the Agreement in the country concerned; advising the Governments concerned on the detailed manner of carrying out the Agreement; making recommendations for the selection of personnel regarding exchange of professors, students, etc.; and generally advising the Governments concerned as to the manner in which the working of the Agreement could be improved upon.

At intervals of not less than once in three years the two Governments will hold joint consultations to co-ordinate the working of the Agreement in the two countries and invite suggestions and advice from co-operating agencies as to the steps that may be deemed necessary for a more effective implementation of this Agreement.

#### Article 13

The present Agreement shall be ratified with the least possible delay.

The Agreement will come into force thirty days after the exchange of instruments of ratification which will take place in Tehran.

#### Article 14

The Agreement will remain in force for a period of ten years. It can be terminated by either party giving a minimum of six months' notice before the expiry of this period. Otherwise, it shall remain in force thereafter until such time as either party terminates it by giving six months' notice.

In faith thereof, the said plenipotentiaries have signed the present Agreement in duplicate in the English, Hindi and Persian languages; all the three texts being equally authentic except in the case of doubt when the English text shall prevail.

....

Signed at New Delhi, this first day of December 1956.

For the President of India,



( A. K. Azad )  
Minister for Education

For His Imperial Majesty the  
Shahanshah of Iran,



( A. A. Hekmat )  
Ambassador of Iran



भारत सरकार और ईरान की शाही सरकार के बीच  
सांस्कृतिक सम्बन्धों का करार

भारत के राष्ट्रपति  
और  
महामहिम ईरान के जहंगीर

अपने सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक सम्बन्धों का ध्यान रखते हुए  
इस समान इच्छा से प्रेरित हुए हैं कि

संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संस्था की भावना  
के अनुसार पविष्य में दोनों के सांस्कृतिक सम्बन्ध निरन्तर और अधिक पक्के  
होते जायें, और

दोनों देशों के बीच इस प्रकार के सद्भाव और ऐसे सम्बन्धों -  
विशेष कर विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में - को एक ठोस आधार पर बढ़ाने  
और विकसित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय,

इस लिये उन्होंने एक सांस्कृतिक करार करने का निश्चय किया  
है और नीचे लिखे पूर्णाधिकारी नियुक्त किये हैं -

भारत के राष्ट्रपति की ओर से :

शिक्षा मंत्री

माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

महामहिम ईरान के जहंगीर की ओर से :

ईरान के राष्ट्रपति

परम श्रेष्ठ श्री २० २० हिकमत

.....



उन्होंने एक दूसरे के प्रत्यय-पत्र देते हैं और उन्हें ठीक और उचित रूप में पा कर वे दोनों नीचे लिखी बातों पर सहमत हुए हैं :-

#### अनुच्छेद - 1

भारत गणराज्य की सरकार और इरान की शाही सरकार विश्वविद्यालय के अध्यापकों और वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थानों के सदस्यों को एक दूसरे के यहां भेज कर दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों को और भी बढ़ाने के लिये अपनी सहमति और इच्छा प्रकट करती है ।

#### अनुच्छेद - 2

हर सरकार ऐसी उचित सहायता और सुविधाएं देगी जिससे एक सरकार के भेजे हुए विधाधीन दूसरी के भू-भाग में जो संस्थाएं हों उनमें किसी भी वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक या दूसरे विषयों की शिक्षा पा सकें ।

#### अनुच्छेद - 3

दोनों सरकारें अपने-अपने साधनों और आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे के कर्मचारियों या उसके द्वारा भेजे गये दूसरे लोगों को अपनी वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक संस्थानों में सिल्लाह के लिये अंगीकार करेंगी ।

#### अनुच्छेद - 4

दोनों सरकारें एक दूसरे के भू-भाग में सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना का स्वागत करेंगी, जो कि क्षेत्र-विशेष में ऐसे संस्थानों की स्थापना के कानूनों और सरकार की आम नीति के अधीन होंगी । 'सांस्कृतिक संस्थान', इस शब्द का अर्थ होगा शिक्षा-केन्द्र, पुस्तकालय, शिक्षा-सम्बन्धी वैज्ञानिक संस्थाएं, कला की उन्नति करने वाली संस्थाएं जैसे कला-भवन, कला केन्द्र, कला-समाज, फिल्म-संग्रहालय और साहित्य संस्थाएं ।



### अनुच्छेद - 5

दोनों सरकारें अपने देशों के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी । इसके लिये वे नीचे लिखी बातों की व्यवस्था करेंगी :- व्याख्यान, कला और विज्ञान की प्रदर्शनी, संगीत-समारोह और सांस्कृतिक प्रदर्शन, विद्यार्थियों की यात्राओं का आयोजन करना और उन्हें वजीफे देना, कला, विज्ञान और साहित्य-समाजों और विधा की उन्नति में लगी हुई दूसरी संस्थाओं के बीच सहकार्य को बढ़ावा देना, फारसी से भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं से फारसी में अनुवाद के कार्य को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा देने वाली दूसरी संस्थाओं में एक दूसरे के देश से सम्बन्ध वाले विषयों में शिक्षा देने के लिये विभाग खोलना, अपनी-अपनी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को एक दूसरे के यहां भेजना, फिल्म-प्रदर्शन करना, पुरातत्व के नमूनों और कलात्मक वस्तुओं को एक दूसरे के यहां भेजना, एक दूसरे के इतिहास, भाषा और कला का परिचय कराने की दृष्टि से रेडियो प्रसार करना, और ग्रामोफोन रेकर्डों, रूकम-फिल्मों और पांडुलिपियों की फोटो-प्रतियों को एक दूसरे के यहां भेजना ।

### अनुच्छेद - 6

दोनों सरकारें अपने राष्ट्रियों के बीच खेल प्रतियोगिताओं को और स्काउट-संघों के बीच सहकार्य को परसक बढ़ावा देंगी ।

### अनुच्छेद - 7

दोनों सरकारें परसक यह ध्यान रखेंगी कि शिक्षा-संस्थाओं में लगी पाठ्य-पुस्तकों, विशेषकरके इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में, एक दूसरे देश के बारे में ग़लत या प्रान्तिजनक धारणाएं न हों, और यह कि एक दूसरे के देश के अध्यक्षा के प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शित किया जाएगा ।

### अनुच्छेद - 8

दोनों सरकारें इस बात से सहमत हैं कि विश्वविद्यालयों और दूसरे शिक्षा-निकायों द्वारा दिये गये डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों को परस्पर मान्यता प्रदान करने में सुविधा देने के लिये सत्प्रयत्न करेंगी ।

### अनुच्छेद - 9

दोनों सरकारें सीमाशुल्क के प्रतिबन्ध आदि को अमल में न लाकर एक दूसरे को हर सम्भव सुविधा देंगी, जिससे उनके अपने-अपने देशों में प्रकाशित पुस्तकें एक दूसरे के देश में बेरोक-टोक जा-जा सकें। परन्तु ये सुविधायें ऐसे अनुचित साहित्य को नहीं दी जाएंगी जो अश्लील, विप्लवकारी या किसी दूसरे प्रकार से आपत्तिजनक हो।

### अनुच्छेद - 10

दोनों सरकारें एक दूसरे को अपने सांस्कृतिक प्रतिनिधि भेजेंगी।

### अनुच्छेद - 11

दोनों सरकारें इस करार की शर्तों को अमल में लाने के लिये हर सम्भव सुविधा देने और सभी उपयुक्त उपायों से काम लेने का प्रण करती हैं।

### अनुच्छेद - 12

इस करार की शर्तों को अमल में लाने के लिये, अगर जरूरी हो, तो कोई भी सरकार एक विशेष आयोग बिठा सकती है। इस आयोग के सदस्य ईरान में, वहां के शिक्षा-मन्त्री और भारतीय राजनयिक मिशन के अध्यक्ष और भारत में, भारतीय शिक्षा-मन्त्री और ईरान के राजनयिक मिशन के अध्यक्ष रहेंगे और इनके अलावा ऐसे सलाहकार भी रहेंगे, जिनको आयोग का कोई भी सदस्य नामित कर दे। इस आयोग के नीचे लिखे उद्देश्य होंगे :-

- (क) इस बात की निगरानी करना कि सम्बन्धित देश में करार पर किस तरह अमल हो रहा है,
- (ख) सम्बन्धित सरकारों को करार के परिपालन के ब्यौरे-वार तरीके के बारे में सलाह देना,
- (ग) प्राध्यापकों, छात्रों आदि के विनिमय के सम्बन्ध में व्यक्तियों के निर्वाचन की सिफारिशें करना,
- (घ) संबंधित सरकारों को सामान्य रूप से ऐसे तरीकों के बारे में सलाह देना जिससे करार पर और अच्छी तरह

से अमल किया जा सके ।

तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार दोनों सरकारों करार के अधीन दोनों देशों में होने वाले काम का समंजन करने के लिये मिल-जुल कर विचार करेंगी और इसमें सहयोग देने वाली रजिस्ट्रियों से इस बारे में सलाह मांगेगी कि करार को और अच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय जरूरी हैं ।

#### अनुच्छेद - 13

इस करार का जल्दी से जल्दी सत्यांकन किया जाएगा । सत्यांकन-पत्रों के विनिमय के दिन बाद यह करार लागू हो जाएगा । पत्रों का विनिमय नयी दिल्ली में होगा ।

#### अनुच्छेद - 14

यह करार दस वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा । इस अवधि के समाप्त होने से पहले कोई भी पक्ष कम से कम छः महीने की पूर्व सूचना देकर इसे खत्म कर सकता है । वरना, उसके बाद यह तब तक लागू रहेगा जब तक कोई पक्ष छः महीने की पूर्व सूचना देकर इसे समाप्त न कर दे ।

इसके साक्ष्य में उक्त पूर्णाधिकारियों ने इस करार के अंग्रेजी, हिन्दी और फ़ारसी पाठों की दो-दो प्रतियाँ पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, परन्तु संशय होने पर अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा ।

.....



आज दिसम्बर 1956 की पन्नी तारीख को नयी दिल्ली  
में हस्ताक्षर किये गये ।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से महामहिम ईरान के सहजाह की ओर से

A. K. Azad

(अबुल कलाम आज़ाद)  
शिक्षा मंत्री

Signature

(ए० ए० हिकमत)  
ईरान के राष्ट्रपति

---000---